फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थीगण
किशोरसिंह पुत्र अजेतींगजी जाति रावणा राजपूत
निवासी दूदनी तहसील बाली वगैरा

बनाम

अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं. GCMS No. 2025/249
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28/05/25	वकील प्रार्थीगण श्री जगतपालसिंह उपस्थित। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया। अप्रार्थी राज पेरोकार उपस्थित। अप्रार्थी राज पेरोकार द्वारा पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु किसी प्रकार की अनापत्ति पेश नहीं की गई। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 500/718 रकबा 0.3100 हैक्टर के चारों तरफ बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगें। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner